



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937

No. 193]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/MAGHA 2, 1937

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016

का.आ. 217(अ).— राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश सं. का. आ. 1892(अ) तारीख 13 जुलाई, 2015 भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित क्लोपिडोगरेल+ एटोखास्टेटिन+एसप्रिन कैपसूल (डेपलाट सीवी 20 फोर्ट), 1 कैपसूल, मैसर्स स्यूरिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और मैसर्स टोरेन्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विपणन, के खुदरा मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित है, तत्काल प्रभाव से वापिस ली जाती है।

[कां. सं./158/26/2016/वि/फा. सं० 8(26)/2016/डीपी/एनपीपीए.—डि.वी.।।]

आनन्द प्रकाश, उप-निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 22nd January, 2016

S.O. 217(E).— In exercise of the powers, conferred by paragraph 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. No. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby withdraw the Gazette Notification S.O. No. 1892(E) dated 13th July, 2015, relating to retail price fixation of Clopidogrel + Atorvastatin + Aspirin Capsule (Deplatt CV 20 Forte) for 1 Capsule, manufactured by M/s Surein Pharmaceuticals Pvt. Ltd. and Marketed by M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd, with immediate effect.

[PN/158/26/2016/F/F. No. 8(26)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

ANAND PRAKASH, Dy. Director

345 GI/2016